

संख्या-5056 /15-7-06-16(116)/2006

प्रेमक,

एफओएनओ प्रधान,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
श्रीति विहार, नई दिल्ली।


विषय (7) अनुमान

विषय :- विषयम पब्लिक स्कूल का संयुक्त रूप से अखिल भारत को सीओपीएसओ ईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: 10 अक्टूबर, 2006

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि उक्त संघर्षित विद्यालय को सीओपीएसओ ईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहें और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संघर्षित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौस्तुभ आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्सॉलमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिशनैतार कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेगे।



Preeti Gupta  
MANAGER  
WISDOM PUBLIC SCHOOL  
Aligarh Road, Aligarh

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जावेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।


भवदीय,

(एफओएमओ प्रधान)  
संयुक्त सचिव।

प्रमुख एवं दिनांक तय

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 4- निरीक्षक, ज्योत्स भारतिय विद्यालय उद्योग, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, विजयम पब्लिक स्कूल कला-सी अलीगढ़।
- 6- गार्ड बुक ।



Preeti Gupta  
MANAGER  
JYOTNA PUBLIC SCHOOL  
Bamghat Road, Aligarh

1/ आज्ञा से,  
(एफओएमओ प्रधान)  
संयुक्त सचिव।